अध्याय
04

सामाजिक न्याय

परिचय

न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्य का बंटवारा किया जाता है

न्याय क्या है

प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था और धर्म यानी न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था।

- **चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार न्याय**

  गलत करने वालों को दंडित कर भले लोगों को पुरस्कृत कर के राजा को न्याय कायम रखना चाहिए।

- **प्लेटो के अनुसार न्याय**

  अपने निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन तथा दूसरों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है।

  प्लेटो की न्याय भावना व्यक्ति की आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है।

  अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा की है

- **सुकरात के अनुसार न्याय**

  यदि हर कोई अन्यायी हो जाए तथा अपने स्वार्थ के लिए कानून से खिलवाड़ करें तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और सब को नुकसान पहुंचेगा इसलिए हमारा दीर्घकालिक हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्यायी बनें। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है।

- **अरस्तु का वितरणात्मक न्याय**

  वह न्याय है जिसका प्रयोग राज्य अपने पदों और पुरस्कारों तथा दूसरे प्रकार के लोगों को अपने सदस्यों में वितरित करने के लिए करता है।

  ऐसे सदस्य वही होते हैं जिन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है।

प्लेटो ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स और एथिक्स में अपने न्याय संबंधी विचारों का वर्णन किया है।

- **इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय**

  हर मनुष्य की अपनी गरिमा होती है यदि सभी व्यक्ति की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें।

न्याय के प्रकार

- सामाजिक न्याय
- राजनीतिक न्याय
- आर्थिक न्याय
- कानूनी न्याय अथवा वैधानिक न्याय

सामाजिक न्यायः-

- सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में मनुष्य के बीच भेदभाव ना हो।
- कानून सबके लिए बराबर हो और कानून के समक्ष सभी बराबर हैं।
- समाज में उत्पन्न विकास के सभी अवसरों जैसे वस्तुओं और सेवाओं का न्याय उचित तरीके से वितरण हो।

राजनीतिक न्याय

- राजनीतिक न्याय का अर्थ है लोकतंत्र में सभी को राजनीति में भाग लेने और अपना सरकार चुनने का अधिकारहै।
- राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए समाज में कुछ तबकों जैसे SC तथा ST वर्ग को लगभग सभी चुनाव में उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है।

आर्थिक न्याय

- आर्थिक न्याय का अर्थ है देश के भौतिक साधनों का उचित बटवारा और उनका उपयोग लोगों के हित में हो।
- सभी को आर्थिक आजादी प्राप्त हो और वे स्वतंत्र रूप से अपना विकास संभव कर सके। विकास के लिए धन प्राप्त करने तथा उनका उचित प्रयोग के समान अवसर मिलने चाहिए।
- समाज के वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं या असहाय हैं उन्हें अपने विकास के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए।

कानूनी न्याय

- कानूनी न्याय का अर्थ है कानून के समक्ष समानता तथा न्याय पूर्ण कानून व्यवस्था।
- कानूनी न्याय राज्य के द्वारा स्थापित किया जाता है और राज्य के कानून द्वारा निर्धारित होता है।
- यह इस बात पर निर्भर रहता है कि राज्य द्वारा निर्धारित कानून उचित एवं भेदभाव रहित हो।

इसकी कुछ शर्तें हैं

a. कानून न्याय पूर्ण हो ।

b. कानून में समानता हो।

c. स्वतंत्र न्यायपालिका हो।

सामाजिक न्याय के स्थापना के तीन सिद्धांत

1. समान लोगों के प्रति समान बर्ताव

सभी के लिए समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है

नागरिकों को उनके वर्ग जाति नस्ल या लिंग आधार पर नहीं बल्कि उनके काम और कार्यकलापों को आधार पर जांचा जाना चाहिए। यदि भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम कर रहे हो तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए।

2. समानुपातिक न्याय

समानुपातिक न्याय का अर्थ हैलोगों को उनके प्रयास के पैमाने और अर्हता के अनुपात में पुरस्कृत करना।

समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिकता के सिद्धांत के साथ संतुलन बैठाना।

3. विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल

जब कर्तव्य व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए

जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उन्हें भिन्न ढंग से बर्ताव करके ख्याल रखना चाहिए। जैसे शारीरिक विकलांगता वाले लोगों के कुछ मामलों में असमान और विशेष सहायता दी गई है

न्यायपूर्ण बंटवारा

- समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रुप से लागू हो।

- सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है चाहे यह राष्ट्र के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूह और व्यक्तियों के बीच का।

- समाज में गंभीर सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं तो यह जरूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण हो जिससे नागरिक को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके।

- यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी माना गया है कि वह अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास कर सके और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके।

उदाहरण –

- हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान में छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया और सुनिश्चित किया कि निचली कहीं जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को ना रोका जा सके।

- विभिन्न राज्य सरकारों ने न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार लागू करने जैसे भी कदम उठाए हैं।

रॉल्स के सिद्धांत

- अज्ञानता का आवरण' द्वारा रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और उससे समाज को संगठित करने, कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाए तो वह अवश्य हीं सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेगी।

- रॉल्स तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है।

सामाजिक न्याय का अनुसरण

- न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया कराना चाहिए ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सके।

- समाज में अपनी प्रतिभा का विकास कर सके।

- समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर बढ़ सके।

- लोगों की बुनियादी जरूरतें आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके इजाद किए हैं

लोकतंत्र में न्याय का महत्व

- लोकतंत्र में एकता की स्थापना के लिए न्याय बहुत हीं आवश्यक है।

- लोकतंत्र में नागरिकों की संतुष्टि एवं शांति बनाए रखने के लिए न्याय बहुत हीं आवश्यक है।

- न्याय व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ-साथ समाज के विकास में भी सहायक होता है।

सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण

- समाज का वह तबका जिसके साथ हमेशा से अन्याय होता आया है समाज की जिम्मेवारी है कि उसे सामाजिक न्याय के दायरे में लाए।

- इसके लिए संविधान द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

आरक्षण से लाभ

a. आरक्षण के कारण कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर मिलते हैं।

b. आरक्षण से कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है।

c. आरक्षण से कमजोर वर्गों के लोगों का सामाजिक स्तर बढ़ता है।

मुक्त बाजार बनाम राज्य का परवाह

मुक्त बाजार का अर्थ

a. व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौते में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए।

b. उन्हें लाभ अधिकतम मात्रा में हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की छूट होनी चाहिए।

c. खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाना राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अक्षम और सीधा विभिन्न वर्ग की जिम्मेदारी सरकार को होनी चाहिए क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार ऐसे वर्ग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

मुक्त बाजार के पक्ष

a. मुक्त बाजार व्यक्ति की जाति धर्म या लिंग को नहीं देखता।

b. बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता व कौशल को देखता है।

मुक्त बाजार के विपक्ष

मुक्त बाजार ताकतवर धनी व प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है।

जिसका प्रभाव सुविधाविहीन लोगों के लिए अवसर से वंचित होना हो सकता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. प्लेटो नेअपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की ब्याख्या की है ?
   a. पॉलिटिक्स
   b. दमिन्स
   c. सोशल कॉन्ट्रैक्ट
   d. द रिपब्लिक
2. प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध किससे था?
   a. धर्म से   b. शांति से
   c. कर्म से   d. आदर से
3. सामान कार्य के लिए सामान वेतन किस प्रकार के न्याय का अंश है ?
   a. सामाजिक न्याय
   b. आर्थिक न्याय
   c. राजनितिक न्याय
   d. क़ानूनी न्याय
4. न्याय का मतलब क्या है ?
   a. अपने मित्रों का भला करने
   b. अपने हितों की रक्षा करने

> न्यायपूर्ण समाज वह है, जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें।
>
> **डॉ. भीम राव अंबेदकर**

> “न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत; बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है।”
>
> **जे.एस. मिल**